राजस्थान सरकार
कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग,
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान, जोधपुर
W-6, रेजिडन्सी रोड, जोधपुर,
E-Mail: dte.pvt.trg.raj@gmail.com

क्रमांक: प.सं.7(11)/प्रवेश/1001/प्र–1/2022/ 11324 दिनांकः– 15/7/22

अधीक्षक/आचार्य,
राजकीय/प्राईवेट औ.प्र.संस्थान,
समस्त।

विषयः– **प्रवेश सत्र 2022–23/24 हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश एवं सूचना।**

1. प्रवेश प्रभारी द्वारा केन्दीयकृत प्रवेश प्रक्रिया की निर्धारित तिथियों अनुसार आवंटित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु कमेटी गठित कर दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा। अभ्यर्थियों की संबंधित संस्थान में रिर्पोटिंग करने से पूर्व संस्थान प्रधान/ प्रवेश प्रभारी सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे अंकतालिका, जाति प्रमाण–पत्र, मूल निवास, पहचान पत्र (आधार कार्ड,इत्यादि) , फोटो आदि की गहन जाँच उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही करेंगे।
2. प्रवेश प्रक्रिया अन्तर्गत IMC सीट पर प्रवेश एवं ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया के सीट आवंटन के दोनो चरणों में जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन सही पाये जाते है उन्हें आवंटित व्यवसाय में प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार जिस SSO ID से शुल्क अपडेट किया गया है उसी SSO ID से ही संस्थान में प्रवेशित अभ्यर्थियों की रिर्पोटिंग की सूचना अपनी देखरेख में ऑनलाईन एडमिशन पोर्टल पर प्रविष्टि की जायेगी। ऑनलाईन एडमिशन पोर्टल पर प्रविष्टि/रिर्पोटिंग करने से पूर्व संस्थान प्रधान/ प्रवेश प्रभारी संबंधित संस्थान में व्यवसायों की शिफ्ट एवं यूनिट का ठीक प्रकार से अवलोकन उपरान्त ही अभ्यर्थियों की रिर्पोटिंग करवायेंगे। सभी संस्थान प्रधान/ प्रवेश प्रभारी समस्त अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के दौरान मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आई.डी. न बदलने हेतु पाबन्द करवायेंगे।
3. प्रवेश प्रक्रिया अन्तर्गत IMC सीट पर प्रवेशित एवं ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया के सीट आवंटन के दोनो चरणों में जिन अभ्यर्थियों को नियमानुसार प्रवेश के अन्तर्गत दस्तावेज गलत पाये जाते है उन अभ्यर्थियों की सूचना रिकार्ड की जायेगी तथा मय कारण के निम्नानुसार वर्णित प्रपत्र में निदेशालय सूचित की जोयगी।

प्रारूप

संस्थान का नाम मय कोड :.......................................

क्र. स.	अभ्यर्थी का नाम/पिता/ माता का नाम	पोर्टल द्वारा आवंटित व्यवसाय	आवेदन पत्र आईटी क्रमांक	मेरिट संख्या	प्रवेश रद्द होने का कारण

4. प्रवेशित अभ्यर्थियों का नियमानुसार प्रशिक्षण एवं अन्य शुल्क जमा किया जाना है।
5. संस्थान प्रधान/ प्रवेश प्रभारी द्वारा समय सारणी अनुसार प्रत्येक गतिविधियों की पालना समय पर सुनिश्चित की जावें।
6. प्रवेश प्रभारी समय–समय पर प्रवेश पोर्टल पर जारी होने वाले महत्वपूर्ण दिशा–निर्देशों का अवलोकन कर पालना सुनिश्चित करावें। इसी के साथ विभाग की वेबसाइट www.livelihoods.rajasthan.gov.in व http://hteapp.hte.rajasthan.gov.in का निरन्तर अवलोकन कर पालना सुनिश्चित करावें।
7. संस्थान प्रधान/ प्रवेश प्रभारी संबंधित संस्थान में NCVT योजना में प्रवेशित अभ्यर्थियों के डाटा NCVT MIS Portal पर डी.जी.टी. नई दिल्ली भारत सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार अपलोड करवाना भी सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु प्रवेश प्रक्रिया संबंधी जारी किये जाने वाले निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करेंगे।

भवदीय,

उपनिदेशक (प्रशिक्षण)

क्रमांकः प.सं.7(11)/प्रवेश/1001/प्र–1/2021/

दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है–

1. उपनिदेशक, प्रशिक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय, समस्त को सूचनार्थ।

उपनिदेशक (प्रशिक्षण)